

# प्रवाह

विर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना वर्ष : 1948



हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ज्ञान का उपयोग करते हुए पर्याप्त तैयारी करके हम बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं।

- पेद्रा नेमकोवा, चेक मॉडल

देश भर में टीके का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो जाने के बाद चार राज्यों में दो दिन के टीकाकरण अभियान के ट्रायल से स्पष्ट है कि कोविड-19 का सफलता से मुकाबला करने के बाद अब टीकाकरण अभियान को पूरी क्षमता से अंजाम देने की तैयारी भी पूरी होने को है।


## टीके की तैयारियां

कोविड-19 के टीके का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो जाने के बाद देश के चार राज्यों में कल शुरू हुए टीकाकरण अभियान से जुड़े ट्रायल से साफ है कि देश में पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की आपातकालीन मंजूरी मिलने से पहले की सारी जमीनी तैयारियां आखिरी चरण में हैं। पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश और असम के दो-दो जिलों के जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आज भी चलने वाले इस ट्रायल में कोल्ड स्टोरेज से वैक्सीन को समय से टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाने से लेकर भीड़ को नियंत्रित करने जैसी सारी चुनौतियों को परखा जा रहा है। इस दौरान किसी को टीका बेशक नहीं दिया जा रहा, लेकिन लोगों के पंजीयन से लेकर टीका केंद्र तक वितरण जैसी सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, और यह भी देखा जा रहा है कि शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए टीकाकरण कार्यक्रम को किस तरह संपन्न किया जा सकता है।

ट्रायल के दौरान हासिल डाटा को सरकार के को-विन एप में भी अपडेट किया जा रहा है। इस ट्रायल का मकसद टीकाकरण की चुनौतियों को समय रहते पहचानना और उन्हें दूर करना है। यह ट्रायल इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि विशाल आबादी वाले इस देश में कोरोना से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए टीकाकरण अभियान चलाना आसान काम नहीं है। टीकाकरण से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप देने का महत्व इस कारण भी है, क्योंकि आगामी जनवरी से देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू करने का लक्ष्य है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है, और सबसे अधिक मृत्यु दर को देखते हुए पंजाब को इसमें वरीयता दी जाएगी। हालांकि वैक्सीन बनाने वाली एकाधिक कंपनियों द्वारा आवेदन करने के बावजूद अभी तक हमारे यहां किसी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी नहीं मिली है, पर ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को सबसे पहले



मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। अपने यहां सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन का उत्पादन और परीक्षण कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह वैक्सीन वायरस से 95 फीसदी सुरक्षा देगी तथा वायरस के बदले स्ट्रेन में भी यह कारगर होगी। इन तैयारियों से यही पता चलता ही है कि कोविड-19 का सफलता से मुकाबला करने के बाद अब टीकाकरण अभियान को पूरी क्षमता से अंजाम दिया जाएगा।



दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु

मुखड़ा क्या देखे दर्पण में

स्वच्छ वातावरण, धन या लोकतंत्र का युद्ध, खासकर परमाणु युद्ध की स्थिति में कोई मतलब नहीं होता है और केवल भौतिक विकास मानवीय खुशहाली को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

## आंतरिक शांति से ही संभव है वास्तविक शांति

मूल रूप से हम सभी इंसान हैं और यही चीज हमें एक-दूसरे से जोड़ती है। इसी वजह से हम एक-दूसरे को समझते, मित्रता करते और एक-दूसरे के निकट आते हैं। चूंकि हम सभी इस छोटे से ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हमें प्रकृति और एक-दूसरे के साथ सद्भाव और शांति के रहना सीखना होगा। यह महज एक सपना नहीं है, बल्कि जरूरत है। हम एक-दूसरे पर इतने ज्यादा निर्भर हैं कि आज हम अलग-थलग समुदायों में नहीं रह सकते और बाहर क्या हो रहा है, इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। हमें उस सीमागंघ को साझा करना चाहिए, जिसका हम आनंद लेते हैं। यह एहसास कि हम सभी मूल रूप से एक ही इंसान हैं, जो खुशियां खोजते और दुख से बचने की कोशिश करते हैं, यह भाईचारे की भावना को मजबूत करने में बहुत मददगार है। इससे दूसरों के लिए प्यार और करुणा की भावना पैदा होती है। यदि हम दूसरों की परवाह किए बिना स्वार्थी बनकर केवल वही काम करते हैं, जिसे अपने हित में मानते हैं, तो हम न केवल दूसरों को, बल्कि स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस सदी के दौरान यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि आज परमाणु युद्ध छेड़ना एक तरह से आत्महत्या के समान है, या कुछ तात्कालिक लाभ के लिए हवा या समुद्र को प्रदूषित करके हम अपने अस्तित्व के बुनियादी आधार को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए एक-दूसरे पर निर्भर रहने के कारण हमारे पास सार्वभौमिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।



शांति केवल वहीं हो सकती है, जहां मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता है, जहां लोगों को भोजन मिलता है और जहां व्यक्ति एवं राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं।

आज हम वास्तव में एक वैश्विक परिवार हैं। दुनिया के एक हिस्से में क्या होता है, वह हम सभी को प्रभावित कर सकता है। जाहिर है, यह न केवल नकारात्मक चीजों के लिए सच है, बल्कि सकारात्मक चीजों के लिए भी उतना ही मान्य है। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी की वजह से हम न केवल दुनिया भर में हो रही तमाम हलचलों को जानते हैं, बल्कि हम उन घटनाओं से भी सीधे प्रभावित होते हैं, जो दूर घटित होती हैं। लेकिन युद्ध या शांति; प्रकृति का विनाश या संरक्षण; मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का उल्लंघन या उन्नयन; गरीबी या भौतिक भलाई; नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों या उनके अस्तित्व और विकास की कमी; और मानवीय समझ के क्षरण या विकास अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं, जिन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र करके विश्लेषण और निपटारा किया जा सकता है। वास्तव में ये सभी स्तरों पर एक-दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं और इनका इसी समझ के साथ निपटारा किया जा सकता है। शांति केवल वहीं हो सकती है, जहां मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता है, जहां लोगों को भोजन मिलता है और जहां व्यक्ति एवं राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं। अपने लिए और आसपास की दुनिया के लिए सच्ची शांति केवल मानसिक शांति के विकास के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। स्वच्छ वातावरण, धन या लोकतंत्र का युद्ध, खासकर परमाणु युद्ध की स्थिति में कोई मतलब नहीं होता है और भौतिक विकास मानवीय खुशहाली को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मानव उन्नति के लिए भौतिक प्रगति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। पर आध्यात्मिक विकास के बिना भौतिक विकास भी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। यदि आपमें आंतरिक शांति है, तो बाहरी समस्याएं आपकी आंतरिक शांति और धैर्य को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। इस आंतरिक शांति के बिना आपका जीवन चाहे कितना ही आरामदायक क्यों न हो, आप समस्याओं से परेशान और दुखी रहेंगे।

# प्राकृतिक आपदा और बाल विवाह

बिहार के बाढ़ग्रस्त कोसी क्षेत्र में आर्थिक तबाही के कारण बाल विवाह में वृद्धि होती है। कोविड-19 में आजीविका के नुकसान के कारण भी गरीब युवाओं के कम उम्र में विवाह के बंधन में धकेल देने की आशंका है। ऐसे कदम उठाने ही होंगे, जिससे आपदा में बाल विवाह की मजबूरी न हो।

पिछले कुछ महीने भारत में भारी संकट का समय था। हालांकि आर्थिक सुस्ती और कोविड-19 संकट मीडिया में प्रमुखता से छापे थे, लेकिन इससे अलग दो अन्य समाचार भी तेजी से बदलते समाचार चक्र में दिखाई पड़े- विवाह के लिए महिलाओं की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव और पूर्वी भारत में आई बाढ़। हालांकि बाल विवाह अधिनियम (2006) के अस्तित्व में आने के बाद से पिछले एक दशक में बाल विवाह 38.69 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत रह गया, लेकिन पूर्वी भारत में यह अब भी जारी है। लगभग 30 फीसदी बाल विवाह इस क्षेत्र के चार राज्यों-बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होते हैं। जाहिर है, कम उम्र में शादी पर लगे कानूनी प्रतिबंध भी इस क्षेत्र के युवाओं को विवाह से नहीं रोक पाते। इसके साथ ही बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में तेजी से विस्तार हो रहा है और आने वाले वर्षों में बाढ़ से होने वाले नुकसान में वृद्धि होने की आशंका है। इस क्षेत्र में कम उम्र में विवाह होने के क्या कारण हैं? ताजा शोध में हमने कम उम्र में विवाह और प्राकृतिक आपदाओं के बीच संबंध का पता लगाया है। दरअसल आर्थिक विनाश का कारण बनने वाली प्राकृतिक आपदाएं बाल विवाह की व्यापकता को बढ़ा सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं और बाल विवाह के बीच के सूत्रों को समझने के लिए हमने 2008 में कोसी में आई बाढ़ का अध्ययन किया, जिसने प्रभावित क्षेत्र को भारी आर्थिक झटका दिया था।



मधुलिका सक्त्वा



निशिता कोहर

18 अगस्त, 2008 को नेपाल के सुनसरी जिले के कुसहा गांव में पूर्वी तटबंध टूट जाने से कोसी अपने दो सौ साल पुराने रास्ते पर चल पड़ी थी। कोसी के पुराने रास्ते से सौ किलोमीटर आगे बहते ही उत्तर बिहार के कई हिस्से पूरी तरह डूब गए। अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और पूर्णिया जिले के करीब 1,000 गांव गंभीर रूप से प्रभावित हुए। उस



बाढ़ से दस लाख लोग तात्कालिक रूप से विस्थापित हुए, जबकि और बीस लाख लोग सीधे प्रभावित हुए। हालांकि मौत का आंकड़ा तुलनात्मक रूप से कम था, 527 लोगों की ही जान गई थी, पर उस बाढ़ से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। अपने अध्ययन में हमने पाया कि कोसी की बाढ़ ने पुरुष और महिलाओं के विवाह की उम्र घटा दी, जिसके चलते पुरुष बाल विवाह की घटनाओं में 6.9 फीसदी और महिला बाल विवाह की घटनाओं में 3.6 फीसदी की वृद्धि हुई। उन बाढ़ग्रस्त जिलों में बाल विवाह अधिक हुए, जहां संपत्ति का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ।

कोसी की बाढ़ और बाल विवाह के बीच का यह संबंध क्या दर्शाता है? यह बताता है कि बाढ़ के आर्थिक झटकों से निपटने के लिए वे परिवार, जिनके घर में कुंवारे बेटे हैं, अपने बेटे की कम उम्र में शादी कर देते हैं, ताकि दहेज मिले और मुश्किल समय में सहाय मिल सके। यदि परिवार पहले से गरीब है, तो इसकी संभावना ज्यादा रहती है। यह देखते हुए, कि पुरुष आम तौर पर अपने से छोटी महिलाओं से शादी करते हैं, ज्यादातर लड़कियां भी कम उम्र में शादी करती हैं; ऐसी शादियों में पुरुष और महिला की उम्र क्रमशः दस महीने और 4.5 महीने कम हो जाती है। बाढ़ का प्रभाव पुरुषों पर चूंकि ज्यादा होता है, इसलिए इस तरह की शादियों के पीछे संभवतः लड़के के परिवारों का दबाव ज्यादा रहता है।

हमने पाया कि कोसी की बाढ़ का असर क्षेत्र के हिंदू परिवारों में अधिक पड़ा था, जिनमें दहेज की कुप्रथा ज्यादा है, और भूमिहीन परिवारों में, जो सबसे अधिक प्रभावित होते थे। अध्ययन में यह भी सामने आया है

कि बाढ़ ने स्कूल के बुनियादी ढांचे और छात्रों के नामांकन को प्रभावित नहीं किया, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों ने बाल विवाह में वृद्धि नहीं की। हालांकि विवाह के कारण प्रवासन कम दूरी के भीतर होता है, और आम तौर पर एक ही जिले में, पर यह अब भी संभव है कि कोसी (गैर-कोसी) जिलों की महिलाएं गैर-कोसी (कोसी) जिलों की सीमा में पुरुषों से शादी कर रही हों। ये परिणाम बताते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए बाल विवाह एक महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन बाल विवाह से लड़के-लड़कियों का नुकसान होता है। ऐसी शादी को मंजूरी देने वाले माता-पिता अपने तात्कालिक हित की पूर्ति के लिए बच्चों के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार नहीं करते; यह तथ्य है कि कोसी की बाढ़ ने विवाहित पुरुषों और महिलाओं में माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा पूरी करने की दर कम कर दी है। हमने बाढ़ के कारण महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का भी दस्तावेजीकरण किया और पाया कि न केवल ऐसी महिलाओं के काम करने की संभावना घटी, बल्कि उनके अपने पैसे होने की संभावना भी कम हो गई। यह स्थिति उसी सच्चाई को बताती है कि कम उम्र में विवाह महिलाओं की भलाई के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रमबल में भागीदारी और उनके बच्चों की मानव पूंजी आदि को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसलिए आर्थिक झटके को स्थिति में भले ही माता-पिता के नजरिये से कम उम्र में शादी सही लगती हो, पर युवा दंपति, खासकर दुल्हनों को इसकी दीर्घकालीन कीमत चुकानी पड़ती है।

ऐसे समय में, जब पूर्वी भारत को बाढ़ का लगातार सामना करना पड़ता है, बाल विवाह और प्राकृतिक आपदा को कम करने वाली नीतिगत प्रतिक्रियाओं के बारे में विचार करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान आजीविका का नुकसान अनेक युवाओं, खासकर पहले से ही गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वालों को कम उम्र में विवाह के बंधन में धकेल देगा। पहले से ही खबरें हैं कि पिछले कुछ महीनों में बाल विवाह में वृद्धि हुई है। नीतिगत नजरिये से यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि आपदा बीमा या कम ब्याज वाला कर्ज आसानी से उपलब्ध हो, तो प्रभावित परिवारों के पास आर्थिक झटके का सामना करने के लिए दहेज के अलावा अन्य तरीके भी होंगे, जिससे प्राकृतिक आपदा और बाल विवाह के बीच की कड़ी कमजोर हो जाए।

-लेखिका द्वय जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग से पीएच.डी कर रही हैं।

### मंजिलें और भी हैं

मैं एक ऐसे क्षेत्र से ताल्लुक रखती हूँ, जहां किसानों का बड़ा वर्ग प्याज की खेती करता है। मैंने उनके लिए एक ऐसा सेंसर विकसित किया है, जो फसल का नुकसान कम करने में सहायक है।



कल्याणी शिंदे

## प्याज खराब होने पर सतर्क करता है सेंसर

नुकसान होता है कम

शुरुआत में हमने गोदाम में खराब हुए प्याज से निकलने वाली गैसों का पता लगाने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का सहारा लिया। यह वास्तविक समय का डाटा इकट्ठा करता है, और किसानों को सचेत करता है। इससे फसल नुकसान बीस फीसदी तक कम हो गया।

किसानों को सहयोग

फसल खराब होने से बच सके, इसलिए मैंने और मेरी टीम ने एक ऐसी तकनीक पर काम करना शुरू किया, जो भंडारण इकाई के भीतर माइक्रोक्लाइमेटिकल परिवर्तनों की पहचान कर सकती है और किसान को फसल के खराब होने पर सतर्क करती है।

विस्तार की योजना

इससे फायदा यह होता है कि किसान या तो खराब स्टॉक को साफ कर सकता है या अपनी उपज बेचने का फैसला कर सकता है। अभी हम नासिक के आसपास के कुछ गोदामों में इस सेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बाद में इसके विस्तार की योजना पर भी काम कर रहे हैं।



आंकड़े

### देश में केंद्रीय विद्यालय

देश की शिक्षा व्यवस्था में केंद्रीय विद्यालयों का अहम योगदान है। आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न राज्यों में कुल 1,225 केंद्रीय विद्यालय मौजूद हैं।

राजस्थान	ओडिशा
76	62
प. बंगाल	महाराष्ट्र
61	59
उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
118	110

स्रोत : केंद्रीय विद्यालय संगठन

डाकू ने उतक मुनि पर तलवार तानते हुए कहा, सोना हमारे हवाले करो, अन्यथा काट डालूंगा। मुनि निर्भीक संत थे।

## डाकू का प्रायश्चित

उतक मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह सौबीरनगर के एक मंदिर में रहकर भगवान की भक्ति, शास्त्राध्ययन तथा गृहस्थजनों को सदुपदेश देने में लगे रहते थे। राजा मुनि के त्याग-तपस्यामय जीवन से बहुत प्रभावित था। उसने उस मंदिर को तीर्थ मानकर सोने का शिखर भेंट दिया। उस क्षेत्र में डाकू कणिक का बहुत आतंक था। वह धनी लोगों के घर लूटपाट करता था। एक दिन वह अपने गिरोह के साथ मंदिर के पास से निकला, तो स्वर्ण शिखर को देखकर रुक गया। उसने सोचा, जब मंदिर का शिखर सोने का बना है, तो यहाँ के पुजारी के पास भी अवश्य धन होगा। कणिक ने उसी रात मंदिर पर धावा बोल दिया। हाथ में तलवार लिए वह



अंतर्थात्रा शिवकुमार गोयल

मंदिर में घुस गया। उसने देखा कि एक महात्मा मंदिर में बैठे भगवान के प्यान में लीन हैं। उसने महात्मा से कहा, सोना हमारे हवाले करो, अन्यथा काट डालूंगा। मुनि निर्भीक संत थे। कणिक ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया, पर उसने देखा कि मुनि की आंखों से तेज बरस रहा है। उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। वह मुनि के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मुनि ने उससे कहा, किसी को सताकर प्राप्त धन से भला कभी नहीं होता है। पश्चात्ताप से भरे कणिक ने सर पटक-पटककर अपनी जान दे दी। मुनि ने उसके शव पर भगवान विष्णु का चरणामृत छिड़क दिया। कणिक को मुक्ति मिल गई। -अमर उजाला आर्काइव से।

## शिलातेख

कोई कांटा चुभा नहीं होता दिल अगर फूल सा नहीं होता मैं भी शायद बुरा नहीं होता वो अगर बेवफा नहीं होता कुछ तो मजबूरियां रही होगी यू कोई बेवफा नहीं होता जी बहुत करता है सच बोलें क्या करें हौसला नहीं होता - बरीर बद्र



# चारों ओर से पिसता मध्यवर्ग

मध्यवर्ग की बचत के पैसे से बैंक ऋण देते हैं और मुनाफा कमाते हैं, मगर इसकी बचत पर ब्याज कम होता जाता है।



रामा शर्मा

अर्थव्यवस्था

इस साल कोरोना महामारी के कारण टैक्स रिटर्न भरने की अवधि दिसंबर तक बढ़ा दी गई, वर्ना तो टैक्स रिटर्न जुलाई तक भर देना पड़ता था। टैक्स भरने वाला मध्यवर्ग इस देश के लिए सोने की ऐसी मुर्गी है, जिसे नए-नए तरीकों से जिबह करने की तैयारी की जाती है। सारे उर उसी को दिखाए जाते हैं। हर कानून के पालन की जिम्मेदारी उसी के मध्ये मढ़ दी जाती है। सरकार की अधिकांश आर्थिक नीतियों का चाबुक सबसे पहले उसी की पीट पर पड़ता है।

देखने की बात है कि यह मध्यवर्ग खुद अपने संसाधनों से पढ़ता-लिखता है। माता-पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों की ऊंची फीस भरने में न जाने कितनी हाड़-तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये बच्चे अपनी प्रतिभा के जरिये नौकरी पा जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की शायद ही कोई मदद इन



मध्यवर्गीय परिवारों को मिलती है। लेकिन जैसे ही ये नौकरी पाते हैं, सरकार किसी थानेदार की तरह टैक्स वसूलने आ जाती है। वक्त के साथ जैसे-जैसे आय बढ़ती है, टैक्स बढ़ता जाता है। लेकिन यदि इसी टैक्स देने वाले की नौकरी चली जाए, तो सरकार न तो इस करदाता के लिए किसी नौकरी का बंदोबस्त करती है, न ही इसे बेरोजगारी भत्ता या परिवार चलाने के लिए

कोई अन्य सुविधा देती है। जिस मध्यवर्ग के दिए कर से सरकार मतदाताओं को मुक्ति की रेवडियां बांटकर वोट बटोरती है, उसकी किसी तरह की मदद नहीं करती। यह मध्यवर्ग ही है, जिसके कारण रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, कपड़े का मतलब कि हर तरह की व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियां चलती हैं। मध्यवर्ग खर्च न करे, तो लगभग सभी उद्योग-धंधे चौपट हो जाएं। यह एक तरह से समाज की रीढ़ होता है। लेकिन किसी भी दल की सरकार हो, इस रीढ़ पर चोट करने से बाज नहीं आती। सरकारें ही नहीं, साहित्य में भी इस मध्यवर्ग को कायर कहकर अपमानित किया जाता रहा है। जबकि यही मध्यवर्ग समाज की दिशा बदलता है। यही है, जो विभिन्न दलों, सरकारों से लेकर तमाम उत्पादों की ब्रांडिंग करता है। इसी की स्वीकृति पाने के लिए सभी लालायित भी रहते हैं। इसी मध्यवर्ग की बचत के कारण तमाम बैंक चलते हैं। इसी की बचत के पैसे से बैंक ऋण देते हैं और मुनाफा कमाते हैं, मगर हर दिन, हर महीने इसकी बचत पर ब्याज कम होता जाता है। आज तो फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर किसी जमाने के बचत खाते से भी कम हो गई है। जो मध्यवर्ग अधिकांशतः निजी क्षेत्र में काम

करता है, जिसके पास सरकारी कर्मचारियों और गरीबों की तरह न कोई चिकित्सा सुविधा होती है, न किसी तरह की पेंशन ही, उसका एकमात्र सहारा उसकी बचत ही होती है। ऐसे में लगातार उसकी बचत पर ब्याज कम होता जाएगा, तो वह क्या करेगा? संकट काल में कौन उसकी मदद करेगा? दिलचस्प यह है कि आपकी बचत पर आपको कर देना पड़ता है, लेकिन खर्च पर छूट मिलती है। यानी कि बचत के बजाय खर्च पर ज्यादा जोर है। खर्च हो, तभी आर्थिकी चलती है, उद्योग-धंधे का विकास होता है। लेकिन आदमी अपनी सारी बचत अगर खर्च कर दे, तो उसका जीवन कैसे चले! लेकिन इस मध्यवर्ग की भलाई के लिए भी कोई नीति बनाई जाए, यह कोई नहीं सोचता। नीतियां या तो बहुत अमीरों के लिए बनती हैं, या गरीबों के लिए। यह मान लिया गया है कि मध्यवर्ग ही न कोई परेशानी होती है, न जरूरतें, और न आवाज ही, इसलिए उसे भूले रहना ही बेहतर है। करदाता की इतनी उपेक्षा दुनिया के किसी देश में नहीं होती। अनेक देशों में करदाता को तरह-तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। उन्हें देश की चालक शक्ति माना जाता है, ऐसे में अपने देश में ईमानदारी से कर देने का परिणाम आखिर सरकारों की उपेक्षा क्यों है? कुछ दिन पहले टैक्स से संबंधित काम करने वाले एक परिजन ने कहा कि इस देश के चार करोड़ करदाता बकी के एक सौ छब्बिस करोड़ लोगों को डो रहे हैं। उनकी गाड़ी खींच रहे हैं। टैक्स देने वाले को हर कोई लूट रहा है। मुश्किल यह है कि वह अपनी नौकरी और परिवार की गाड़ी खींचने में इतना व्यस्त है कि उसके पास किसी तरह के विरोध का समय भी नहीं है।